<u>न्यायालयः –श्रीष कैलाश शुक्ल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग – 1</u> <u>बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.</u>

<u>व्य0वादप्रक0</u> क0—24ए / 2016 संस्थित दिनांक234503000452015

हंसलाल सूर्यवंशी आयु—64 साल पिता स्व0 शंकरलाल, जाति गढ़ेवाल निवासी परसवाड़ा तहसील परसवाड़ा, हालमुकाम—ग्राम पोस्ट भिलाई सेक्टर नं.02 सड़क नं.02, क्वाटर नंबर 28बी—तहसील भिलाई जिला दुर्ग छ0ग0

...वादी

विरुद्ध

1.रमेश कुमार आयु 45 साल पिता स्व0 मूलचंद खरे, 2.दिनेश कुमार आयु 40 साल पिता स्व0 मूलचंद खरे, 3.भसोरीलाल आयु—59 साल पिता स्व0 महावीर खरे, 4.बलराम आयु 42 साल पिता स्व0 महावीर खरे, सभी जाति गढ़ेवाल निवासी परसवाड़ा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट। 5.म0प्र0 राज्य द्वारा—श्रीमान कलेक्टर महोदय, बालाघाट

.....प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

—:: दिनांक 28.09.2016 को घोषित ::-

- 1. यह वाद वादग्रस्त संपत्ति मौजा परसवाड़ा प.ह.नं.14 राजस्व निरीक्षक मंडल परसवाड़ा तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा क्रमांक 201 रकबा 0.08 / 0.032 हे0 भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण कार्य को रोके जाने हेतू स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतू प्रस्तुत किया गया है।
- 2. प्रकरण में स्वीकृत है कि वादी एवं प्रतिवादीगण ग्राम परसवाड़ा के निवासी है।
- 3. वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा कमांक 201 रकबा 0.08 / 0.032 हेक्टेयर है जो उसकी स्व—अर्जित संपत्ति है। वादी ने यह भूमि दिनांक 07.11.86 को क्य की थी और तब से ही उस भूमि पर उसका शांतिपूर्ण आधिपत्य है। इस भूमि पर वादी का कच्चा मकान

बना हुआ है और मकान की चतुरसीमा इस प्रकार है कि पूर्व में चिन्टू की भूमि, पश्चिम में शुक्ला पंडित एवं पूरन की भूमि, उत्तर में संतोष रम्मू की भूमि तथा दक्षिण में निस्तारी गली है। वादी भिलाई स्टील प्लांट में कार्य करता था और सेवानिवृत्ति के पश्चात वह भिलाई में ही निवास करने लगा। वादी का भाई चन्द्रसेन ही वादग्रस्त संपत्ति की देख—रेख करता है और दिनांक 14.01.2015 को उसने सूचना दी कि वादी के स्वत्व के मकान को तोड़ने का कार्य कुछ लोग कर रहे है। वादी दिनांक 15.01.2015 को वादग्रस्त भूमि पर आया तो उसने देखा कि प्रतिवादीगण मकान को तोड़कर उस पर नया मकान बनाने हेतु नीव की खुदाई कर रहे है। वादी के मना करने पर प्रतिवादीगण ने उससे विवाद किया तब दिनांक 16.01.2015 को पुलिस थाना परसवाड़ा में इस बाबद शिकायत दर्ज कराई गई एवं तहसीलदार परसवाड़ा के समक्ष भी विवादित स्थान पर किये जा रहे अवैध निर्माण को रोके जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

- 4. वादी के स्वामित्व की खसरा क्रमांक 201 रकबा 0.08/0.032 है0 भूमि से लगकर आबादी की भिम है जिसका खसरा क्रमांक 162/1 रकबा 2.283 है0 है। उपरोक्त खसरा क्रमांक में 0.05 डिसमिल भूमि पर वादी का कब्जा उसके पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। वादी के स्वामित्व की भूमि के कुछ भाग पर वादी का कच्चा मकान है और मकान की पश्चिम दिशा की ओर की भूमि पर प्रतिवादीगण नये निर्माण का प्रयास कर रहे है। वादी एक सेवानिवृत्त कर्मचारी है जबिक प्रतिवादीगण अपने प्रभाव के कारण अवैध रूप से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करना चाहते है और उनके द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। अतः प्रतिवादीगण को विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करने तथा उनके द्वारा अवैध रूप से निर्माण करने के विषय में उन्हें स्थाई निषधाज्ञा से निषधित किया जावे।
- 5. स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त शेष अभिवचनों का प्रात्याख्यान कर अपने जवाब में प्रतिवादीगण ने कहा है कि वादी के स्वामित्व की खसरा क्रमांक 201 रकबा 0.08 डिसमिल भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। वादी के स्वत्व की भूमि से लगकर आबादी मद की खसरा क्रमांक 162/1 रकबा 2.383 हे0 भूमि है जिस पर देव—पूजा का कच्चा मकान था और खरे परिवार के लोग इस स्थान पर देव—पूजा करते थे। लगभग 4—5 साल पूर्व यह कच्चा मकान क्षतिग्रस्त होकर गिर गया तब पूर्व में ही बने मकान पर पूजा

घर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया, इस हेतु 10 गुणा 10 वर्मफीट पर एक कच्चे मकान का निर्माण कार्य वादीगण द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने के पूर्व ही प्रतिवादीगण द्वारा कर लिया गया। प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण कार्य आबादी भूमि पर किये जाने पर वादी ने तहसीलदार परसवाड़ा के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की तब तहसीलदार परसवाड़ा ने मौके पर पटवारी तथा राजस्व निरीक्षक को जांच हेतु भेजा था। वादी ने अपनी भूमि पर नाप नहीं करवाया एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा आबादी मद की भूमि पर खसरा नंबर 162/1 रकबा 2.383 हे0 पर प्रतिवादीगण का निर्माण पाया गया। वादी ने अपने स्वामित्व की भूमि जो खसरा नंबर 201 रकबा 0.08 डिसमिल भूमि है का आबादी भूमि से लगे होने का फायदा उठाने की नियत से प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण किये जा रहे स्थान को अपना होने का अभिवचन किया गया और झूठा दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त स्थिति में वादी का दावा सव्यय निरस्त किया जावे।

6. न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख उसके निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

	20	
क मां क	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी के आधिपत्य वाली मौजा	
	परसवाड़ा, प.ह.नं.14, रा.नि.मं. परसवाड़ा	
	तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित	
	खसरा क्रमांक 201 रकबा 0.08 एकड़	
	भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 द्वारा	
	अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है ?	
2	सहायता एवं खर्च ?	

वादप्रश्न क01 का निष्कर्षः-

7. इस वादप्रश्न को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी हंसलाल वा.सा.01 ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 201 रकबा 0.08 / 0.032 हे0 उसके स्वत्व की भूमि है और इस भूमि पर विगत 40 वर्षों से उसका कब्जा चला आ रहा है। विवादित भूमि पर वादी का कच्चा मकान बना है जो 03 कमरों का है। मकान के पश्चिम दिशा के कमरे के भू—भाग को तोड़कर प्रतिवादीगण द्वारा नीव खुदाई का कार्य किया जा रहा था तब दिनांक 14.01.2015

को उसके भाई चन्द्रसेन ने उसे सूचना दी। वह दिनांक 15.01.2015 को मौके पर आया तब प्रतिवादीगण ने मकान के एक हिस्से को तोड़कर गिरा दिया था और उसकी जगह नीव की खुदाई का कार्य कर रहे थे। इस संबंध में उसने पुलिस थाना परसवाड़ा एवं तहसीलदार परसवाड़ा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। उसके स्वत्व के मकान में 30-40 वर्ष से एक शासकीय शराब दुकान संचालित थी जिसका किराया उसके द्वारा लिया जाता था। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि को उनका देव स्थल होने की बात कहकर जबरदस्ती कब्जा किया गया है। प्रतिवादीगण ने वादी के कब्जे की भूमि रकबा 12 गुणा 12 वर्गफीट जो उसके मकान के पश्चिम दिशा की ओर स्थित है पर अवैध रूप से कब्जा किया है। इस स्थान पर प्रतिवादीगण का पूर्व में कभी भी कोई कब्जा नहीं था और न ही उनका वहाँ कोई देव स्थल है। विवादित भूमि के विषय में वादी ने खसरा फार्म पी-2 वर्ष 2014–15 प्र.पी.01 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार खसरा क्रमांक 201 रकबा 0. 032 हे0 भूमि वादी के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज होना लेख है। थाना प्रभारी परसवाडा को दिनांक 16.01.2015 को की गई शिकायत जिसमें वादी ने प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किये जाने की शिकायत की थी वह शिकायत प्र.पी.02 प्रस्तुत की है। वादी के अभिवचनों का समर्थन वादी साक्षी श्यामलाल वा.सा.02, चन्द्रसेन वा.सा.०३ तथा पूरनलाल वा.सा.०४ ने किया है और कहा है कि विवादित भूमि वादी हंसलाल के स्वत्व की संपत्ति है जो कि खसरा क्रमांक 201 रकबा 0.08 डिसमिल की भूमि है। उपरोक्त वादी साक्षियों ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि खसरा क्रमांक 201 रकबा 0.08 डिसमिल भूमि से लगकर शासकीय आबादी मद की भूमि है जिसपर लगभग 30-40 वर्षों से वादी का ही कब्जा चला आ रहा है। वादी के स्वामित्व की भूमि पर उसका एक तीन कमरों का मकान था जिसके एक कमरे में पूर्व में एक शराब की दुकान संचालित होती थी। वादी साक्षी पूरनलाल चावले वा.सा.04 ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि शासकीय आबादी की खसरा क्रमांक 162 / 1 रकबा 0.5 डिसमिल भूमि पर वादी के कब्जे का मकान था जिसके पश्चिम दिशा की ओर के एक कमरे पर प्रतिवादीगण ने नीव खुदाई कर कब्जा कर लिया।

8. वादी साक्षी हंसलाल वा.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके स्वामित्व की भूमि से लगकर खसरा क्रमांक 162/1 रकबा 2.283 हे0 भूमि है जो शासकीय मद की भूमि है। प्रतिवादी पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने अस्वीकार किया है कि जिस स्थान पर निर्माण कार्य किया गया है वहाँ उनका देव घर है और उनके द्वारा इस स्थान पर पूजा की जाती रही है। वादी हंसलाल वा.सा.01 ने यह कहा है कि आबादी की भूमि पर उसका कब्जा है।

उपरोक्त विषय में वादी साक्षी श्यामलाल वा.सा.02 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वादी के नाना मिलापचंद ने आबादी की भूमि पर कब्जा कर मकान बनाया था और इसी मकान पर शराब दुकान संचालित होती थी। साक्षी चन्द्रसेन वा.सा.03 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण ने आबादी मद की भूमि पर मकान बनाया हुआ है और वहीं वे पूजा कर रहे है।

- 9. प्रकरण में प्रतिवादी साक्षी दिनेश प्र.सा.01 ने यह कहा है कि वादीगण के स्वामित्व की संपत्ति खसरा क्रमांक 201 रकबा 0.08 डिसमिल की भूमि है परन्तु इस भूमि से लगकर आबादी मद की भूमि खसरा क्रमांक 162/1 रकबा 2.343 है0 की भूमि है। इस भूमि पर देव—पूजा का एक कच्चा मकान था जिसपर प्रतिवादीगण खरे परिवार के लोग देव—पूजा करते थे। इसी स्थान पर प्रतिवादीगण द्वारा 10 गुणा 10 वर्गफीट पर एक कच्चा मकान का निर्माण किया गया था जो न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही पूर्ण किया जा चुका है। निर्माण कार्य किथे जाते समय वादी ने तहसीलदार परसवाड़ा के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की थी तब तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को मौके का सीमांकन एवं जांच हेतु भेजा गया था। जब उपरोक्त राजस्व अधिकारी सीमांकन कार्य के लिये मौके पर आये तो वादी ने उन्हें सीमांकन कार्य करने से रोक दिया जबिक प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण कार्य आबादी मद की भूमि पर किया गया था। वादी, प्रतिवादीगण के देव घर के स्थान की भूमि को हड़पना चाहता है इसलिये उसने न्यायालय के समक्ष झुटा दावा प्रस्तुत किया है।
- 10. प्रतिवादी साक्षी बिहारीलाल प्र.सा.02 ने भी प्रतिवादी साक्षी दिनेश प्र.सा.01 के कथन का समर्थन कर यह कहा है कि आबादी मद की लगभग 0.01 डिसमिल भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा देव घर का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। प्रतिवादी की ओर से इस संबंध में खसरा फार्म पी—2 वर्ष 2014—15 प्र.डी.01 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। यह दस्तावेज सर्वे क्रमांक 162/1 रकबा 2.283 हे0 भूमि जो शासकीय मद में दर्ज है के विषय में है। प्रतिवादीगण ने प्र.डी.02 का दस्तावेज राजस्व निरीक्षक परसवाड़ा द्वारा तहसीलदार परसवाड़ा को प्रेषित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि वह खसरा क्रमांक 201 के विषय में प्राप्त शिकायत के संबंध में स्थल जांच हेतु मौके पर गया था तब आवेदक हंसलाल सूर्यवंशी ने स्थल जांच के लिये मना कर दिया और कहा कि उसके द्वारा व्यवहार न्यायालय बैहर में प्रकरण प्रस्तुत किया जा चुका है इसलिये वह जांच कार्यवाही नहीं करवाना चाहता इस संबंध में प्र.डी.03 का पंचनामा भी अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादी साक्षी दिनेश प्र.सा.01

ने स्वीकार किया है कि आबादी मद से लगकर वार्दो की खसरा क्रमांक 201 रकबा 0.08 / 0.032 हे0 की भूमि है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वादीगण की खसरा क्रमांक 201 की भूमि से लगकर शासकीय भूमि की कुछ भूमि पर खसरा क्रमांक 162 / 1 की भूमि है जिसपर वादी का कच्चा मकान बना हुआ है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इंकार किया है कि वादी के कब्जे की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर पूजा घर का निर्माण किया गया है।

- प्रतिवादी साक्षी बिहारीलाल प्र.सा.02 ने प्रतिपरीक्षण में यह कहा है कि वह नहीं बता सकता कि प्रतिवादीगण ने 10 गुणा 10 पर निर्माण कार्य किया है और वह वादीगण की भूमि पर किया गया है या नहीं परन्तु उसका कहना है कि पूर्वजों के समय से वहाँ देव स्थान था और प्रतिवादीगण द्वारा पुराने देव स्थान पर ही निर्माण कार्य किया गया है। खसरा क्रमांक 201 रकबा 0.032 हे0 की भूमि वादी के स्वत्व की संपत्ति है, इस बिंदु पर प्रतिवादीगण को आपत्ति नहीं है। इस संबंध में प्र.डी.01 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। वादी का स्वयं यह कहना है कि विगत 40-50 वर्षों से उसका कब्जा शासकीय मद की भूमि पर था और उसके स्वत्व की भूमि तथा आबादी भूमि के कुछ भू-भाग पर उसने निर्माण कार्य किया था। आबादी मद की भूमि शासकीय भूमि है जिसपर किसी भी व्यक्ति के द्वारा निर्माण कार्य किया जाना जब तक कि उसे निर्माण की विधिक अनुमति शासन द्व ारा नहीं दी जाती तब तक अवैध माना जावेगा। यदि उपरोक्त कब्जा अनेक वर्षों से भी हो तो बिना किसी पट्टा या वैध अनुमति के कब्जा किया जाना किसी अधिकार का सृजन नहीं करता। प्रकरण में प्र.डी.01 दस्तावेज से खसरा क्रमांक 162/1 की भूमि शासकीय भूमि होना दर्शित है एवं प्र.डी.02 एवं प्र.डी.03 के दस्तावेज राजस्व निरीक्षक का स्थल जांच प्रतिवेदन एवं पंचनामा है उससे यह दर्शित है कि जब तहसीलदार परसवाडा के समक्ष वादी ने शिकायत की थी तो उसने मौके की जांच हेतु राजस्व कर्मचारियों को भेजा था जहाँ नियमानुसार सीमांकन किये जाने से वस्तुतः निर्माण की स्थिति प्रकट हो सकती थी कि प्रतिवादीगण द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य किस भूमि पर तथा कितने रकवे में किया गया है। प्र.डी.02 एवं प्र.डी.03 दस्तावेज में इस बात का उल्लेख है कि वादी ने स्वयं उन्हें जांच करने से मना कर दिया।
- 12. प्रकरण में न्यायालय के द्वारा किमश्नर प्रतिवेदन आहूत किया गया जिसमें वादी हंसलाल के स्वत्व की खसरा क्रमांक 201 की भूमि जो किमश्नर प्रतिवेदन के साथ संलग्न नजरी नक्शा में ए भाग से चिन्हित है विवादित स्थान जिसे सी भाग से चिन्हित किया गया है से काफी दूरी पर होना दर्शित है। यह

स्थिति वादी के द्वारा उसके अभिवचनों के पूर्णतः विपरीत है क्योंकि वादी का कहना है कि उसके स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि जिसमें आबादी की भूमि भी शामिल है पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। विवादित स्थान पर ही वादी का विगत अनेक वर्षों से आधिपत्य रहा हो यह बात भी अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हो रही है। अभिलेख पर प्रस्तुत की गई दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर प्रतिवादीगण द्वारा किया गया निर्माण कार्य आबादी मद की भूमि पर किया जाना एवं वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पर नहीं किया जाना प्रकट हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि वादी के स्वत्व की भूमि सर्व क्रमांक 201 रकबा 0.08 / 0.032 हे0 की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा वैध रूप से निर्माण कार्य कर कब्जा किया गया है। अतः वादी को इस संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा भी प्रदान नहीं की जा सकती। अतः वादप्रशन क्रमांक 01 का निष्कर्ष अप्रमाणित में दिया जाता है।

सहायता एवं खर्च -

- 13. उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपना दावा सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है। अतः वादग्रस्त संपत्ति मौजा परसवाड़ा प.ह.नं.14 राजस्व निरीक्षक मंडल परसवाड़ा तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा क्रमांक 201 रकबा 0.08 / 0.032 हे0 भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है एवं निम्न आज्ञप्ति पारित की जाती है:—
- 1. वादी वादग्रस्त संपत्ति मौजा परसवाड़ा प.ह.नं.14 राजस्व निरीक्षक मंडल परसवाड़ा तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा क्रमांक 201 रकबा 0.08 / 0. 032 हे0 भूमि के विषय में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
 - 2. वादी अपना तथा प्रतिवादीगण का वादव्यय वहन करेगा।
 - अधिवक्ता शुल्क सूचीनुसार अथवा प्रमाणित होने पर जो भी न्यून हो देय होगा। तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया

सही / — (श्रीष कैलाश शुक्ल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, बैहर सही / – (श्रीष कैलाश शुक्ल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, बैहर

Case No. 24A/2016 Filling no,234503008872014



